IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 5, June 2023

नागरी प्रचारिणी सभा काशी का हिन्दी पुस्तकों की खोज एवं संयुक्त प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी का प्रवेश कराने में योगदान

डॉ अनामिका सिंह
अस्सिटेंट प्रोफेसर,
ग्राम्यांचल पीजी कॉलेज, हैदरगढ़, बाराबंकी (उ0 प्र0)

नागरी प्रचारिणी सभा काशी एक परिचय

नागरी प्रचारिणी सभा भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी नगरी, जिसे आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, में स्थित एक ऐसा हिंदी सेवी संस्थान है जो ब्रिटिश शासन काल से ही हिंदी के विकास एवं प्रचार प्रसार में संलग्न है। हिंदी हित साधन इसका मूल उद्देश्य रहा है। अपने आविर्भाव काल से लेकर आज तक यह संस्था नागरी लिपि और हिंदी वांग्मय की श्रीवृद्धि में संलग्न है।

"नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना क्वींस कॉलेजिएट स्कूल की पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले कुछ उत्साही छात्रों ने किया था जिनका उद्देश्य था एक वाद–विवाद समिति की स्थापना करना । इन छात्रों का दृढ़ संकल्प था कि नागरी– प्रचार उद्देश्य बनाकर एक सभा की स्थापना की जाए और इसी संकल्प के अनुसार 10 मार्च 1893 ईसवी को सभा की स्थापना की गई । इसका नाम नागरी प्रचारिणी सभा रखा गया। उस समय गोपाल प्रसाद खत्री, रामसूरत मिश्रा, उमराव सिंह, शिव कुमार सिंह तथा राम नारायण मिश्रा उसके प्रमुख कार्यकर्ता थे।"[1] इसके पश्चात गर्मी के दिनों में श्री गोपाल दास और श्री रामनारायण मिश्र के प्रयास से सभा में कई अन्य सदस्य जुड़े जिसमें श्री श्यामसुंदर दास जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

इस सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुई। इसी तिथि को इस सभा स्थापना की तिथि माना गया और इसी बैठक में सभा के स्थापना कर्ता के रूप में श्री गोपाल प्रसाद एवं सभा के मंत्री के रूप में श्री श्याम सुंदर दास को स्वीकार किया गया । "सभा नागरी प्रचारिणी सभा ही रहे, इसके स्थापन कर्ता श्री गोपाल प्रसाद माने जाएं । उद्देश्य और नियम परिवर्तित तथा परिवर्धित किए जाएं । सभा का जन्म 32 आषाढ़ संवत 1950 विक्रमी (16 जुलाई 1893 ईस्वी) माना जाए। श्री श्यामसुंदर दास सभा के मंत्री बनाए जाएं।" [2]

इस प्रकार उपरोक्त निर्णय के आधार पर नागरी प्रचारिणी सभा काशी का जन्म 16 जुलाई 1893 ईसवी माना जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदी हित साधन था। किंतु वास्तव में उस समय यह सभा एक वाद–विवाद समिति मात्र थी। विद्यालयी बालकों के प्रयास से स्थापित इस सभा के सदस्यों के प्रयास से धीरे धीरे अनेक हिंदी हितैषी विद्वान जुड़ने लगे।

इस बालसभा के उद्यमी एवं उत्साही बालकों के प्रयास से राधा कृष्ण दास, सुधाकर द्विवेदी, रायबहादुर लक्ष्मी शंकर मिश्र, डॉक्टर छन्नूलाल और राय बहादुर प्रेमदास मिश्र जैसे हिंदी हितेषी प्रतिष्ठित विद्वान पथ– प्रदर्शक के रूप में जुड़ गए । धीरे–धीरे यह सभा सभी लोगों को अपनी ओर खींचने लगी। महा मना महा मना मदन मोहन मालवीय, कालाकांकर नरेश राजा रामपाल सिंह, राजा शशि शेखर राय, कांकरोली नरेश महाराज बाल कृष्ण लाल, श्री अंबिका दत्त व्यास, श्री बद्रीनारायण चौधरी, श्री राधाचरण गोस्वामी, श्रीधर पाठक, श्री ज्वाला दत्त शर्मा लाहौर, श्री नंदकिशोर देव शर्मा अमृतसर, कुंवर जोध सिंह मेहता उदयपुर, श्री समर्थ दास अजमेर, डॉक्टर ग्रियर्सन जैसे अनेक प्रख्यात विद्वानों ने सभा के प्रथम वर्ष में ही सभा का संरक्षकत्व और सदस्यता स्वीकार की। किंतु 2–3 वर्षों में सभा की बाल मंडली बिखरने लगी। श्री श्याम सुंदर दास, श्री राम नारायण मिश्र और श्री शिवकुमार सिंह, ये तीन सज्जन ऐसे थे जो सभा के विकास, प्रचार एवं प्रसार में सक्रिय रूप से सदैव अपनी सेवाएं देते रहे। वास्तव में देखा जाए तो ये त्रिमूर्ति सभा के संस्थापक ही नही, पालक और पोषक भी थे। इसी कारण इस त्रिमूर्ति को सभा के संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है।

नागरी प्रचारिणी सभा ने ही सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्र लिपि के प्रचारार्थ ठोस और सार्थक कार्यक्रम अपनाया। इस संस्था की प्रारंभ से ही यह नीति रही है कि इसने नारेबाजी तथा प्रचार आंदोलनों की तड़क–भड़क को न अपनाकर क्रियात्मक कार्यक्रम को अंगीकार किया। सभा के कर्णधारों को इस बात की जानकारी थी कि हम मात्र काशी में ही ष्हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाईष् का राग अलाप कर ना तो हिंदी का कल्याण कर सकते हैं और ना ही हिंदुस्तान का। इसके लिए हमें अपना विस्तार अखिल भारतीय स्तर पर करना होगा। यदि हम हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा और भारत को राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें भारत की आम जनता के बीच में जाकर उन्हें अपनी भाषा और अपने अतीत के बारे में बताना पड़ेगा । साथ ही उन्हें अंग्रेजों की भाषा नीति और स्वभाषा नीति के बारे में बताते हुए एक साथ चलने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। यह सब करने के लिए हमें आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना चाहिए । अतः इसके संस्थापक प्रारंभ में इधर–उधर से चंदा लेकर कार्य चलाते रहे।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 5, June 2023

सभा के प्रारंभिक वर्षों में तो स्थिति यह थी कि यदि किसी से □1 चंदा मिल जाता तो बड़ा आनंद मनाया जाता था और सभा की ओर से दाता को अनेक धन्यवाद दिए जाते थे।

धीरे–धीरे अनेक कष्टों का सामना करते हुए यह संस्था प्रगति पथ पर अग्रसर हुई और तीन–चार वर्षों में ही काफी लोकप्रिय हो गई। इसके पश्चात इस संस्था का एक स्थाई कोष और सभा भवन निर्मित किया गया। संस्था के सभा भवन का शिलान्यास काशी नरेश महाराज सर प्रभु नारायण सिंह बहादुर के कर कमलों द्वारा 21 दिसंबर उन्नीस सौ दो को किया गया था। सभा के पास दो वर्षों में दान के द्वारा जो धन प्राप्त हुआ था, उसी से सभा के स्थाई कोष की स्थापना सन् 1900 में की गई।

प्रस्तुत शोध आलेख में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी पुस्तकों की खोज एवं संयुक्त प्रान्त में कोर्ट में हिंदी के प्रवेश में योगदान की चर्चा की गई है।

नागरी प्रचारिणी सभा और हिंदी पुस्तकों की खोज–

हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज कराने, उसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने तथा ग्रंथों के संग्रह और संरक्षण का कार्य सभा अपने स्थापना काल से ही कर रही है। इसके पूर्व **बंगाल एशियाटिक सोसाइटी** ने सभा के ही अनुरोध पर कुछ दिनों तक अपनी संस्कृत के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के साथ हिंदी के ग्रंथों की खोज का कार्य किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 600 प्राचीन ग्रंथ 1895 ईस्वी तक प्रकाश में आई। इससे हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी अनेक नए तथ्यों का उद्घाटन भी हुआ। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा खोज का कार्य बंद कर दिए जाने पर सभा ने प्रांतीय सरकार को लिखा कि सरकार यदि खोज के कार्य के लिए कुछ वित्तीय सहयोग करे तो सभा यह महत्वपूर्ण कार्य अपने तत्वावधान में करा सकती है। सरकार ने सभा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए यह कार्य सभा को सौंप दिया और □400 वार्षिक सहायता प्रदान करने का वचन दिया।

सभा द्वारा 2 वर्षों में किए गए कार्यों से संतुष्ट होकर 1895 ईसवी में सरकार ने वार्षिक सहायता बढ़ाकर □500 कर दी। आरंभ में यह निश्चय किया गया था कि खोज के कार्य की रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशनार्थ सरकार के पास भेजी जाया करेगी। इसके अनुसार 1900 और 1901 ईसवी की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इनकी प्रतियां सरकार ने देश–विदेश के अनेक विद्वानों के पास भेजी जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर खोज रक्षक श्री श्यामसुंदर दास की भूरि भूरि प्रशंसा की। 1905 ईसवी में श्यामसुंदर दास ने खोज कार्य के संबंध में अत्यंत उपयोगी योजना प्रस्तुत की। हिंदी ग्रंथों की खोज का कार्य तब तक संस्कृत ग्रंथों की खोज पद्धति के अनुसार चल रहा था। इसकी रिपोर्टिंग प्रतिवर्ष की जाती थी। इस पद्धति से जिन बातों का पता एक वर्ष में लगता था, उनमें प्रायः अगले वर्षों की खोज में परिवर्तन करना पड़ता था और जब तक समस्त रिपोर्ट देखना ली जाए तब तक वास्तविकता का ठीक ज्ञान प्राप्त करना अनिश्चित रहता था। इस योजना को सरकार ने स्वीकृति दी और तदनुसार 1906 ई0 से इसकी रिपोर्ट त्रैमासिक प्रकाशित होने लगी। 1906 ईस्वी में श्याम बिहारी मिश्र निरीक्षक चुने गए। 1912 ईस्वी में सरकारी सहायता बंद हो जाने के कारण खोज कार्य 1913–14 ईसवी में प्रायः बंद रहा किंतु 1914 ईस्वी में सरकार ने पुरानी सहायता 1250 रुपए प्रदान किए तथा 1915 ईस्वी से वार्षिक सहायता □500 से बढ़ाकर □1000 कर कर दिया ।

इस प्रकार विभिन्न प्रांतीय सरकारों एवं रियासतों से सहायता प्राप्त कर खोज कार्य जारी रहा।1930 ईस्वी में दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने दिल्ली प्रांत में खोज कराने के लिए □500 की सहायता सभा को दी और लगभग 8 माह तक वहां कार्य होता रहा जिसमें 207 ग्रंथों का पता चला। 1930 ईस्वी तक खोज कार्य की यह व्यवस्था चलती रही कि सभा द्वारा नियुक्त हुए वैतनिक अन्वेषक मोहल्ले–मोहल्ले, गांव–गांव में जाकर ग्रंथों का पता लगाने के लिए जो कार्यक्रम स्वयं बनाते थे। उसी के अनुसार आगे का कार्य होता था। 1930 ईस्वी में सभा ने यह विचार किया कि अन्वेषकों के कार्य क्षेत्र में रहने वाले विद्वानों से भी यदि स्थानीय देखरेख और परामर्श का कार्य लिया जाए तो समय और श्रम की बहुत बचत होगी तथा कार्य भी सुचारू रूप से होगा। तदनुसार 1931 ईस्वी में प्रयाग का जो कार्य हुआ उसकी देखरेख में देवी दत्त जी शुक्ला जो कि सरस्वती के संपादक रहे हैं और बलिया के कार्य की स्थानीय देखरेख में परशुराम जी चतुर्वेदी ने बड़ी सहायता की इस वर्ष विद्या भूषण मिश्रा निरीक्षक तथा राम बहोरी शुक्ल सहायक निरीक्षक रहे।

इस प्रकार संयुक्त प्रांत के प्रत्येक हिस्से में लगातार हिंदी ग्रंथों की खोज जारी रही और सैकड़ों हिंदी ग्रंथों की विभिन्न विद्वानों द्वारा खोज की गई। इसी प्रकार आज भी हिंदी पुस्तकों की खोज का कार्य सभा द्वारा प्रतिवर्ष होता रहता है।

नागरी प्रचारिणी सभा और संयुक्त प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी का प्रवेश–

नागरी प्रचार के उद्देश्य से ही इस सभा की स्थापना की गई थी और प्रथम वर्ष से ही इसके प्रत्येक पक्ष पर सभी ने ध्यान देना आरंभ कर दिया था। सन 1837 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने फारसी को सर्वसाधारण के लिए कठिन मानकर देसी भाषा जारी करने की आज्ञा दी जिसके फलस्वरूप बंगाल में बांग्ला, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती और महाराष्ट्र में मराठी में

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 5, June 2023

काम होने लगा। परंतु संयुक्त प्रांत, बिहार और मध्य प्रदेश में हिंदुस्तानी जारी की गई। उस समय अंग्रेज अधिकारियों को अदालती अमलों ने अपनी सुविधा और स्वार्थ सिद्धि के लिए यह समझा दिया कि उर्दू ही हिंदुस्तानी हैं और इस प्रकार इन प्रांतों में उर्दू अदालती भाषा हो गई। प्रयत्न करने पर बिहार और मध्य प्रदेश की सरकारों ने सन 1881 में इस भ्रम को समझा और यहां उर्दू के स्थान पर हिंदी प्रचलित की पर संयुक्त प्रांत की सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। नागरी प्रचार के अन्य कार्यों के साथ सभा का ध्यान इस ओर भी गया और उसने इसके लिए प्रयत्न आरंभ कर दिया।

सन 1882 ई0 में प्रांतीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया कि 1875 और 1881 के क्रमशः 19वीं और 12वीं विधान के अनुसार सम्मान आदि हिंदी और उर्दू दोनों में भरे जाने चाहिए। 2 वर्ष तक कोई उत्तर नहीं मिला। अतः प्रांतीय सरकार के पास निवेदन पत्र भेजा गया। सन 1864 ई0 में नवंबर मास में प्रांतीय गवर्नर काशी आने वाले थे। सभा ने उन्हें एक अभिनंदन पत्र देना निश्चित किया जिसमें हिंदी भाषा के साथ न्याय करने और सभा की उद्देश्य पूर्ति में सहायता करने की प्रार्थना की गई। किंतु किन्ही कारणों से उनका आगमन नहीं हो सका। अभिनंदन पत्र उनके पास डाक से भेज दिया गया। गवर्नर की ओर से जो उत्तर मिला था उसका आशय था कि –"गवर्नर महोदय ने अभिनंदन पत्र रुचि पूर्वक पड़ा। इसमें जिस मुख्य प्रश्न की चर्चा की गई है अर्थात अदालती भाषा उर्दू की जगह हिंदी कर दी जाए, उस पर गवर्नर महोदय अपनी कोई सम्मती अभी प्रकट नहीं कर सकते फिर भी वह अवश्य स्वीकार करते हैं कि सभा की प्रार्थना ध्यान पूर्वक विचार करने योग्य है और वह भविष्य में समुचित अवसर पर उस पर अवश्य विचार करेंगे।" [3]

इन्हीं दिनों रोमन लिपि को दफ्तर की लिपि बनाने का भी कुछ प्रयत्न आरंभ हुआ था। इस पर सभा ने अपने 25 अगस्त 1915 के निश्चय के अनुसार नागरी लिपि और रोमन अक्षरों के विषय में एक पुस्तिका तैयार करके अंग्रेजी में प्रकाशित की और सरकारी पदाधिकारियों तथा जनता में इसकी कई सौ प्रतियां वितरित कराई। इसमें अनेक उदाहरणों और प्रमाणों से सिद्ध किया गया था कि शुद्धता, सरलता और उपयोगिता की दृष्टि से यहां की अदालतों के लिए नागरी लिपि ही सर्वोत्तम है। इस उद्योग का फल यह हुआ कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विशेष सभा की प्रार्थना सरकार ने स्वीकार कर ली और सभी जिलों के अधिकारियों को सूचना दे दी गई कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सम्मन आदि सभी कागज हिंदी में भी जारी किए जाएं।

इस सफलता से उत्साहित होकर इस कार्य को और अधिक आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सभा ने 3 अगस्त 1916 को निश्चय किया कि प्रांतीय गवर्नर की सेवा में प्रतिनिधिमंडल भेजकर निवेदन पत्र उपस्थित किया जाए जिसने प्रार्थना की जाएगी कि संयुक्त प्रांत में राजकीय कार्यालयों में देवनागरी लिपि को स्थान दिया जाए। इसमें संयुक्त प्रांत के अनेक जनपदों, नगरों से लगभग 60 हजार व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराए गए। सभा के इस प्रयास में महामना श्री मदन मोहन मालवीय जी ने, जो उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करते थे, बहुत परिश्रम किया था। सबसे बड़ा काम जो उन्होंने इस विषय में किया, वह उनका कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन नामक एक बड़ा निबंध निबंध है जिसे उन्होंने 2 वर्ष के परिश्रम से तैयार किया था। प्रतिनिधिमंडल 2 मार्च 1919 को इलाहाबाद के गवर्नमेंट हाउस में प्रांत के गवर्नर एंटोनी मैकडोनेल से मिला और उनके समक्ष 60,000 हस्ताक्षरों की 16 जिल्दों तथा मालवीय जी के निबंध की एक प्रति के साथ निवेदन पत्र प्रस्तुत किया। यह आवेदन पत्र दे देने के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा पर श्री श्यामसुंदर दास और श्री कृष्ण बलदेव वर्मा ने लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा और मथुरा की यात्रा की। इन सभी जगहों में देवनागरी के सहायकों का संगठन तैयार करके उन्हें इस कार्य में सहायता करने के लिए उद्धत किया। इसके कुछ ही दिन बाद सर एंटोनी मैकडोनल महोदय ने ने इन नगरों का दौरा किया। उस समय इस संगठन ने बड़ी मुस्तैदी और सफलता से इस आंदोलन में सहयोग प्रदान किया और अदालतों में देवनागरी के प्रचार में सहायता दी।

सभा ने हिंदी को अदालतों में स्थान दिलाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। चारों ओर नागरी प्रचार की धूम मच गई थी। अवश्य ही कतिपय विरोधियों ने इस उद्योग की सफलता में विघ्न डालने का प्रयत्न किया। हिंदू–मुस्लिम वैमनस्य बढ़ाने का भी भय दिखाया गया। किंतु अनेक सुयोग्य मुसलमान सज्जनों ने इस कार्य में सभा का पूर्ण समर्थन किया। इसमें हैदराबाद के तत्कालीन मंत्री प्रसिद्ध विद्वान शमशुल उलमा, मौलवी सैयद अली बिलग्रामी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि मुसलमानों में शिक्षा का कम प्रचार होने का मुख्य कारण बेढंगी फारसी लिपि ही है। इसे ठीक तरह से सीखने के लिए जहां कम से कम 2 वर्ष चाहिए, वहीं नागरी के लिए महीने 2 महीने ही पर्याप्त होते हैं।

सभा के प्रस्ताव के समर्थन में संयुक्त प्रांत के प्रायः सभी नगरों से हजारों हस्ताक्षरों के साथ पत्र गवर्नर महोदय के पास पहुंचने लगे थे। सभा ने अंग्रेजी में शुड नागरी बी इंट्रोड्यूस्ड इन कोर्ट्स नाम की एक पुस्तिका छपवा कर उसकी हजारों प्रतियां चारों ओर वितरित कराई। समाचार पत्रों में भी खूब आंदोलन हुआ। इस प्रकार 3 वर्षों तक निरंतर प्रयत्न करते–करते सभा को अपने प्रयास में आंशिक सफलता सन 1900 में प्राप्त हुई। 18 अप्रैल सन 1900 को संयुक्त प्रांत की सरकार ने इस विषय की जो आज्ञा निकाली उसका आशय था – "सभी अपनी इच्छा के अनुसार नागरी व फारसी लिपि में लिखकर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।

ISSN 2581-9429 IJARSCT

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 5, June 2023

सरकारी न्यायालय के प्रधान अधिकारियों की ओर से जो सम्मन, सूचना पत्र या अन्य प्रकार के कागज, पत्र आदि प्रकाशित किए जाएंगे, वह सब नागरी और फारसी दोनों लिपियो में छापे जाएंगे और नागरी अक्षरों में भी भरे जा सकेंगे। ऐसे दफ्तरों में छोड़ कर जहां केवल अंग्रेजी में काम होता है, हिंदी न जाने वाला कोई व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में नियुक्त ना हो सकेगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो दोनों में से केवल एक भाषा जानता होगा तो उसे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर दूसरी भाषा सीख लेना आवश्यक होगा।" [4]

इस विषय की सरकारी आज्ञा और वायसराय की सभा में प्रश्नोत्तरों के हिंदी अनुवाद सभा ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में नागरी प्रचार विषयक लेख समुच्चय नामक पुस्तिका में प्रकाशित कर दिए थे। नागरी प्रचार के लिए अदालतों में सभा की ओर से वैतनिक लेखक नियुक्त किए गए जो प्रतिवर्ष प्रार्थना पत्र नागरी में लिखते थे। किंतु आर्थिक सहायता के अभाव में बनारस को छोड़कर अन्य जिले में लेखको की वैतनिक नियुक्ति सभा के लिए अधिक समय तक संभव ना हुआ। केवल बनारस की कलेक्ट्री और जजी में सभा के दो वैतनिक लेखक संवत 1970 तक कार्य करते रहे। संवत 1971 में यहां भी एक लेखक कम करना पड़ा। संवत 1974 में सभा ने वकालतनामा, इजरायडिगरी आदि के फार्म हिंदी में छपवा कर बिक्री के लिए बनारस की दीवानी कचहरी में रखें। इनसे भी बहुत सहायता मिली।

सभा का विचार था कि हिंदी जानने वाले मुहर्रिर तैयार किए जाएं और अरबी–फारसी के जिन कठिन शब्दों का प्रयोग अदालतों में होता है, जिनके कारण सर्वसाधारण को उर्दू जानने वालों की शरण में जाना पड़ता है, उनका हिंदी कोर्स तैयार किया जाए। बनारस के प्रसिद्ध वकील श्री गौरी शंकर और उनके मुहर्रिर ब्रह्मचारी विवेकानंद ने पहली योजना को सफल बनाने के लिए बहुत सहायता की। उन्होंने हिंदी के मोहर्रिर तैयार करने के लिए अपने यहां उनकी कक्षा खोल दी और अपने पास से □100 उसके प्रारंभिक खर्च के लिए प्रदान करने की भी कृपा की। उनके प्रयत्न से कई सुयोग्य हिंदी मुहर्रिर तैयार हुए जिन्होंने कई अदालतों में वर्षों तक हिंदी का बहुत कार्य किया। सरल भाषा में कचहरी हिंदी कोर्स की तैयारी भी आरंभ कर दी गई। यह कार्य सभा के प्रचार मंत्री श्री माधव प्रसाद के अधीन था। कोर्स तैयार कराने का प्रस्ताव भी उन्होंने ही किया था। यह कोर्स संवत 1981 में प्रस्तावित रूप में छप कर तैयार हुआ।

संवत 1984 में सभा ने अदालतों में नागरी लिपि के प्रार्थना पत्र आदि देने के संबंध में सवा लाख सूचना पत्र छपवा कर संयुक्त प्रांत के प्रत्येक जिले में वितरित कराए थे। संवत 1985 में अपनी यह योजना चलाई की नागरी में दावे आदि लिखने वाले मुहारिरों को 2 आना पुरस्कार दिया जाए। इस योजना से भी पर्याप्त सफलता मिली। संवत 1992 से अर्थ अभाव के कारण सभा को यह पुरस्कार पर बंद कर देना पड़ा किंतु काशी की कचहरी में सभा के वैतनिक लेखक यथा पूर्व अपना कार्य करते रहे। आगे चलकर आर्थिक कठिनाई के कारण इनको भी हटाना पड़ा। यद्यपि अर्थ अभाव के कारण मुहर्रिर को पुरस्कार आदि देना और कचहरी में वैतनिक लेखक नियुक्त करना बंद कर दिया गया। किंतु सभा इस ओर से उदासीन न थी। अन्य दूसरे रूपों में उसका बराबर प्रयास चलता रहा। संवत 1997 में श्री चंद्रबली पांडे ने सभा की ओर से लखनऊ, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, हरिद्वार, बरेली आदि स्थानों में हिंदी के प्रचार के लिए यात्रा की। उनके प्रयत्न से बरेली की कचहरी में वहां के कुछ उत्साही हिंदी प्रेमियों ने एक हिंदी लेखक की नियुक्ति की। उसके खर्च के लिए सभा ने भी 1 वर्ष के लिए □5 का मासिक सहायता देना स्वीकार किया था। संवत 2004 तक सभा राजकाज में सर्वत्र देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के व्यावहारिक प्रयोग के लिए निरंतर उद्योग करती रही। संवत 2004 में इस कार्य में उल्लेखनीय सफलता मिली तथा संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी राजभाषा और राजनीति का प्रतिष्ठित पद हिंदी और देवनागरी को देना स्वीकार किया।

इस प्रकार एक हिंदी सेवी संस्थान होने के नाते नागरी प्रचारिणी सभा, काशी अपने स्थपना काल से ही राष्ट्र भाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार, संवर्धन एवं संरक्षण में सदैव तत्परता के साथ सतत प्रयत्नशील है। इस सभा के हिंदी के विकास में योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है।

सन्दर्भ –

1 हीरक जयंती ग्रन्थ, पृष्ठ संख्या– 3, प्रकाशक – नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ।
2 हीरक जयंती ग्रन्थ, पृष्ठ संख्या– 3, प्रकाशक – नागरी प्रचारिणी सभा, काशी।
3 हीरक जयंती ग्रन्थ, राजभाषा तथा राजलिपि, पृष्ठ संख्या– 3, प्रकाशक – नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ।
4 हिन्दी साहित्य का वृहद् इतिहास, (पंचम भाग) – भूमिका, प्रकाशक– नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ।